

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1606

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 22.04.25

अप्रार्थीगण

1 जगाराम 2
दीपाराम 3 राणाराम
पिसारान आतमाराम
जाति गुरु निवासी
मातासर तहसील
बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।


1 अमरु पत्नी भेराराम 2 सिमरथाराम पुत्र भेराराम 3 हनुमानराम
पुत्र आदाराम 4 अजय पुत्र मोहनलाल 5 तुलसी पत्नी मोहनलाल
6 रूखमों देवी पत्नी मेरामाराम 7 रविन्द्र पुत्र मोहनलाल 8
लाखाराम पुत्र मेरामाराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना,
मातासर 9 गुलाबसिंह 10 हाथीसिंह 11 दर्ईदानसिंह 12
दातारसिंह 13 प्रतापसिंह पिसारान आसकरणसिंह 14 सरे कंवर
पत्नी आसकरणसिंह 15 श्रवणसिंह 16 सिद्धराजसिंह पिसरान
जोगराजसिंह 17 मफु कंवर पत्नि जोगराजसिंह 18 तेजसिंह पुत्र
मलसिंह 19 धोकलसिंह 20 महेन्द्रसिंह पिसरान रिडमलसिंह जाति
राजपूत निवासी मातासर 21 हीराराम पुत्र जोधाराम जाति सुथार
निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 492/2023

दिनांक- 03/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मातासर पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 778 रकबा 05.5927 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- 22.04.25 बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1607 - 1610

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण जगाराम पुत्र आतमाराम वगैराह जाति गुरु निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अमरु पत्नी भेराराम वगैराह जाति जाट निवासी मातासर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


उप उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर